भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096.
Tel: 02228294772 Fax: 28291385/28291754
Email: jdcseepz-mah@nic.in Website: www.seepz.gov.in

फा.सं. सीप्ज़-सेज़/प्रशा/460/2015-16/खंड-IX /11696 दिनांक : 08 .10.2024

रिक्ति परिपत्र

विकास आयुक्त, सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति द्वारा निम्नलिखित पदों को भरने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का विवरण और पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

क्रमांक	पद का नाम और वेतनमान	पदों की संख्या	योग्य शर्तें
1.	मूल्यनिरूपक (रु. 9300-34800/-) ग्रेड पे रु. 4800/- 7वें सीपीसी के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल 8 के समकक्ष	01 (एक)	(*) सीमा शुल्क और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारी (यों):- (अ) (i) मूल संवर्ग एवं विभाग में नियमित आधार पर के सदृश पद धारक| अथवा, (ii) मूल कैडर या विभाग में पूर्व संशोधित रु. 6500-200-10500 (वेतन बैंड रु. 93400-34800 और ग्रेड वेतन रु. 4600) या समकक्ष के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा के बराबर एवं (ब) उत्पाद शुल्क में या सीमा शुल्क के क्रियात्मक कार्य का दो वर्ष का अनुभव।
2.	परीक्षक (रु. 9300-34800/-) ग्रेड पे रु. 4600/- 7वें सीपीसी के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल 7 के समकक्ष	01 (एक)	सीमा शुल्क और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारी (यों):- (अ) (i) मूल संवर्ग एवं विभाग में नियमित आधार पर के सदृश पद धारक । अथवा, (ii) 4500-7000 रु. पूर्व-संशोधित (पे बैंड 5200-20200 एवं ग्रेड पे 2800) में छह वर्ष की नियमित सेवा इसके बराबर; एवं (ब) उत्पाद शुल्क में या सीमा शुल्क के क्रियात्मक कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

(*) आईडी नोट संख्या 1268489/2017-स्था (वेतन-II) दिनांक 24.10.2017 के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी -DoPT) केस्पष्टीकरण के अनुसार एमएसीपी / गैर कार्यात्मक उन्नयन के तहत वित्तीयउन्नयन के कारण उच्च वेतनमान/ग्रेड पे (एनएफयू) या गैर-कार्यात्मक चयनग्रेड अपने मूल संवर्ग में अपने मौलिक पद के वेतनमान/ग्रेड के बराबर संवर्गबाह्य पद के निचले वेतनमान/ग्रेड वेतन में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति केलिए पात्र हों। इसके अलावा, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता पर इस विभाग के प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि मूल संवर्ग में मूल वेतन गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एनएफयू), एमएसीपी, एनएफएसजी आदि के कारण अपग्रेड किया गया है, तो इस तरह के उन्नयन के तहत अपग्रेड किए गए मूल वेतन को प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।" तदनुसार, जिन आवेदकों को मूल विभाग में लेवेल 9 (9300-34800 + जी पी 5400/-) के वेतनमान में 'गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्राप्त हुआ है, वे उपरोक्त पद के लिए क्रमांक 01 पर आवेदन कर सकते है और यदि चयनित हुए, तो वेतन निर्धारण प्रतिनियुक्ति के आधार पर

उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार दिया जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रसरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा होगी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक न हो।)

2. प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सामान्य रूप से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी-DoPT) के दिशानिर्देशों के अनुसार 3 (तीन) वर्ष है।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी-DoPT)द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रतिनियुक्ति नियम, विनियम और प्रावधान लागू होंगे। उच्च ग्रेड वेतन/मान में एक सरकारी अधिकारी डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था (वेतन II) दिनांक 17.06.2010 के अनुसार निम्न ग्रेड वेतन/मान में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

4. चयनित अधिकारी भारत सरकार के लागू नियमों के अनुसार स्थानांतरण यात्रा भत्ता और कार्यभार ग्रहण करने के हकदार होंगे।

5. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पात्र और इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें चयन की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन प्रोफार्मा (अनुलग्नक-I) पर उचित माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

अ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले पांच वर्षों के एपीएआर की प्रति।

ब) सतर्कता मंजूरी प्रमाणपत्र

क) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र

ड) पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी भी लंबित कार्यवाही के दौरान लगाए गए दंड का विवरण यदि कोई विचाराधीन है।

6. उचित माध्यम से प्राप्त होने के बाद ही आवेदन पर विचार किया जाएगा।

7. उपरोक्त आवश्यकताओं के अभाव में और आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. चयन के समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पदों की संख्या और पोस्टिंग का स्थान भिन्न हो सकते हैं और विकास आयुक्त, सेज बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रिक्ति परिपत्र को संशोधित करने और/या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

9. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:-

विकास आयुक्त,
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र,
भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
सीप्ज़ सेवा केंद्र भवन,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

10. उचित अधिकारियों के नाम प्राप्त होने की अंतिम तिथि समाचार पत्र में विज्ञापन जारी होने की तिथि से **45** दिन है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(सी.पी.एस. चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़, मुंबई

जीवन वृत्त

1	कार्यालय का नाम तथा पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2	जन्म तारीख	
3	केंद्र / राज्य सरकारी नियमों के तहत सेवा निवृत्ति की तारीख	
4	शैक्षिक अर्हताएं	
5	वर्तमान मूल वेतन	
6	नियमित आधार पर धारित पद तथा वेतनमान (पूर्व संशोधित) तथा इरा पद पर नियमित नियुक्ति की तारीख	
7	स्थायी पद वेतनमान के साथ (पूर्व संशोधित) तथा स्थायीकरण की तारीख	
8	कालक्रम से पदों का विवरण (यदि नीचे स्थान पर्याप्त न हों, तो अपने हस्ताक्षर से विधिवत अभिप्रमाणित अलग शीट संलग्न करें ।	

क्रम संख्या	कार्यालय / संगठन का नाम	धारित पद	से	तक	वेतनमान तथा मूल वेतन	कर्तव्यों की प्रकृति
1	2	3.	4	5	6	7

9	वर्तमान पद की प्रकृति अर्थात क्या यह तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायी है	
10	यदि वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर हो, तो कृपया उल्लेख करें:- (क) वर्तमान धारित पद की तारीख (ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि (ग) मूल कार्यालय / संगठन का नाम	
11	वर्तमान कार्य के संबंध में अतिरिक्त ब्यौरा कृपया उल्लेख करें कि क्या (क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय के अधीन कार्य कर रहे हैं ।	

12	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जो आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहते हों । (यदि स्थान अपर्याप्त हो, तो अलग शीट में विवरण दिया जाए ।)	
13	क्या आप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के हैं ।	

ठिकाण :

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

पता:

फोन नंबर

मोबाइल नंबर:

ई-मेल

(नियोक्ता के प्रतिहस्ताक्षरित)